डा0 बी0 राजेन्दर *भा0प्र0से0* जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण ,बेतिया द्वारा दिनांक 05.01.2011 को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता कार्यालय, बेतिया सदर का किए गए निरीक्षण की टिप्पणी :–

1.0 परिचय :–

बेतिया भूमि सुधार अनुमण्डलीय कार्यालय का प्रादुर्भाव अधिसूचना संख्या 168/जी0 पु0 दिनांक 24.11.1972 द्वारा दिनांक 1.12.1972 को हुआ। प्रारंभ में इस कार्यालय अंतर्गत कुल 10 अंचल सन्निहित थे। पुनः सरकारी अधिसूचना संख्या 79 दिनांक 23.06.1991 द्वारा बेतिया सदर अनुमण्डल में छः अंचल यथा बेतिया ,चनपटिया, नौतन, बैरिया, मझौलिया, योगापटटी निर्धारित किया गया। इस प्रकार बेतिया सदर अनुमण्डल में छः अंचलो में दिनांक 01.04.1991 से कार्यरत है। इस अनुमण्डल की साख्यिकी आंकड़ा निम्नवत है।

1. कुल राजस्व ग्रामों की संख्या :– 372
2. पंचायतों की कुल संख्या :– 117
3. राजस्व हलकों की संख्या :– 56
4. 2001 के जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या :– 1186355
5. अनुमण्डल का कुल क्षेत्रफल :– 1246.58 वर्ग किलोमीटर

2.0 कार्यालय एवं आवास :–

अनुमण्डलीय भूमि सुधार कार्यालय पुराने पक्का मकान मे अवस्थित है, जिसमें कार्यालय एवं अभिलेखागार के लिए एक–एक कमरा है एवं एक भूमि सुधार उप समाहर्त्ता कार्यालय प्रकोष्ठ है। न्यायालीय कार्य के लिए अलग से कोई कमरा उपलब्ध नहीं है। इस कार्यालय मे कोई शौचालय नहीं है। चूंकि यहां सभी कार्यरत कर्मी महिला है, जिसके कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक आशुलिपिक एवं पुरूष आदेशपाल की आवश्यकता है। इस कार्यालय में कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर नहीं है। एक आशुलिपिक की भी आवश्यकता है। बिजली, जेनरेटर की सुविधा नहीं है। इस कार्यालय से सटे एक अभिलेखागार के लिए कमरा है, जो जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है। उक्त अभिलेखागार मे अत्यन्त ही महत्वपूर्ण अभिलेख वं कागजात पडे हैं, जो **पुराने हैं एवं सुव्यवस्थित ढंग से नहीं है, इसे व्यवस्थित करने का आदेश दिया जाता है। अभिलेखागार की** मरम्मति कराने हेतु अपर समाहर्त्ता, बेतिया आवश्यक आवंटन उपलब्ध करायेंगे। कम्प्यूटर क्रय करने का आदेश दिया जाता है। कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं आशुलिपिक के संबंध में स्थापना उप समाहर्त्ता आवश्यक कार्रवाई करेंगे। बिजली के लिए जेनरेटर का प्वाइंट लेने का आदेश दिया जाता है।

3.0 पूर्व निरीक्षण :–

निम्नलिखिति निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा इस कार्यालय का पूर्व में निरिक्षण किया गया है :–

निरीक्षी पदाधिकारी का नाम	निरीक्षण की तिथि	टिप्पणी प्राप्ति की तिथि	अनुपालन की तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुज0	08.02.1966	16.03.1966	30.05.1966	
अनुमण्डल पदाधिकारी, बेतिया सदर	19.01.1990	03.01.1991	21.02.1994	
अपर समाहर्ता, बेतिया	06.03.1992	14.05.1992	16.06.1992	
समाहर्ता, प0 चम्पारण	4.06.1992	26.06.1992	08.07.1992	
कार्यालय अधिक्षक ,बेतिया	10.12.1993	29.12.2003		

इस कार्यालय में पूर्व निरीक्षण का कोई रक्षी संचिका उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण अनुपालन की जानकारी अनुपलब्ध है। मात्र अपर समाहर्त्ता, बेतिया के द्वारा की गई निरीक्षण टिप्पणी की संचिका उपलब्ध है। निदेश दिया गया कि उपरोक्त विभिन्न निरीक्षण टिप्पणी प्राप्त कर रक्षी संचिका में संधारित करते हुए उसका अनुपालन सुनिश्चित करें।

4.0 प्रभार :–

इस कार्यालय मे वर्ष 2000 के बाद पदस्थापित पदाधिकारी की विवरणी निम्न प्रकार से है : –

क्र	पदाधिकारी का नाम	योगदान	विरमित की तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री नीलकंठ मेहरा	09.01.2001	10.01.2004	
2	श्री शिवेन्द्र नाथ त्रिपाठी	10.01.2004	25.10.2007	
3	श्री अशोक कुमार त्रिपाठी	25.10.2007	08.05.2010	

श्री मंजीत कुमार अभी वर्तमान मे इस कार्यालय के भूमि सुधार उप समाहर्ता के पद पर पदस्थापित हैं, जो दिनांक 08.05.2010 को इस कार्यालय मे अपना प्रभार ग्रहण कर कार्यरत है।

5.0 स्थापना :–

इस कार्यालय के स्वीकृत पद बल के अनुसार कर्मियो की स्थिति निम्न प्रकार है :–

क्र	कर्मचारी की कोटि	स्वीकृत पद बल	पदस्थापित पद बल	रिक्त पद बल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	प्रधान लिपिक	1	1	0	
2	लिपिक	3	2	1	
3	आशुलिपिक	1	1	0	
4	जीप चालक	1	0	1	वर्तमान में श्री विद्यानाथ पाण्डेय, जीप चालक दैनिक वेतन पर जो अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया के आदेश के आलोक में कार्य कर रहे हैं।

इस कार्यालय के सभी कर्मियों को जो अन्य स्थान पर प्रतिनियुक्त हैं उनका भी वेतन भुगतन शीर्ष–2029 मू0 राजस्व से इस कार्यालय द्वारा किया जाता है। यहां कार्यरत लिपिक एवं अनुसेवक सभी महिला कर्मी हैं, मुख्यालय से बाहर के पत्रों के निष्पादन में महिला अनुसेवक के रहने के कारण कठिनाई होती है। यहां एक आशुलिपिक की आवश्यकता है, ताकि जांच प्रतिवेदन एवं वादों का निष्पादन ससमय एवं त्वरित गति से किया जा सके। जिला स्थापना उप समाहर्त्ता पदस्थापना हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

5.1 पद के विरूद्ध निम्नांकित कर्मी पदस्थापित एवं प्रतिनियुक्त हैं :–

क्र	कर्मचारी की कोटि	कर्मी का नाम एवं पदनाम
1	2	3
1	प्रधान लिपिक	1. श्रीमति सुधा फेलिक्स
2	लिपिक	1. श्रीमति कोकिला कुमारी 2. श्रीमति कुमारी ज्योति
3	आशुलिपिक	1 श्री महेन्द्र कुमार (जिला गोपनीय शाखा में प्रतिनियुक्त)
4	जीप चालक	वर्तमान में श्री विद्यानाथ पाण्डेय, जीप चालक दैनिक वेतन पर जो अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया के आदेश के आलोक में कार्य कर रहे हैं।

6.0 पत्राचार :—

इस कार्यालय में **भूमि सम्बंधी कार्यों**/वादों का निष्पादन किया जाता है, जिसमें इस अनुमण्डल से सम्बंधित छः अंचलों **यथा बेतिया, चनपटिया**, नौतन, **बैरिया**, मझौलिया एवं योगापट्टी द्वारा प्राप्त वादों एवं अपील वादों का निपटारा के साथ ही बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2010 के तहत आवेदन पत्रों का निष्पादन भी किया जाता है।

इस कार्यालय में प्राप्त पत्रों के लिए प्रधान एवं अप्रधान अलग–अलग पंजी संधारित है। वर्ष के आंकडें निम्न प्रकार है :—

क्र	वर्ष	प्रधान	अप्रधान	कुल
1	2	3	4	5
1	2009—10	275	199	474
2	2010—11	320	218	538

6.1 इस कार्यालय में आगत पत्रों के लिए प्रधान एवं अप्रधान अलग–अलग पंजी संधारित है। विगत वर्ष के आंकडें निम्न प्रकार है :—

क्र	वर्ष	प्रधान	अप्रधान	कुल
1	2	3	4	5
1	2009—10	195	—	—
2	2010—11	232	862	1094

प्राप्त एवं निर्गत पत्रों हेतु पंजी विहित प्रपत्र मे संधारित है। साथ ही प्राप्त एवं निर्गत पत्रों से सम्बंधित लंबित पंजी भी संधारित है जो अद्यतन है।

6.2 लंबित पत्रों की पंजी :—

बिहार अभिलेख हस्तक के नियम 14 "क" के अनुसार लंबित पत्रों की पंजी प्राप्त एवं निर्गत पत्रों के लिए अलग–अलग संधारित किया जाना है। बिहार अभिलेख हस्तक के नियम 34(ए) के अनुसार प्रत्येक लंबित पत्रों के **लिए लूज सीट पर अलग–अलग सहायकवार सूची तैयार करनी है एवं इसके लिए एक केन्द्रीय पंजी भी संधारित किया जाना है। इस कार्यालय में लंबित पत्रों की पंजी संधारित है लेकिन अद्यतन नहीं है, जिसे अविलम्ब अद्यतन** करने एवं उत्तर भेजे गए पत्रों को लंबित सूची से काटने हेतु निदेश दिया गया।

6.3 प्रधान सहायकों का नोटबुक :—

बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के नियम —117 के अनुसार प्रधान सहायक नोटबुक वर्णमाला कम के अनुसार संधारित करना है। प्रधान लिपिक नोट बुक संधारित है परन्तु अद्यतन नहीं है। यह किसी भी कार्यालय के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण पंजी है जिसमें प्रतिदिन की महत्वपूर्ण घटना/महत्वपूर्ण पत्रों को अंकित किया जाता है। प्रधान सहायक को निदेश दिया जाता है कि इस नोट बुक में नियमानुसार प्रतिदिन घटना/महत्वपूर्ण पत्रों की प्रविष्टि सुनिश्चित करें तथा अपने नियंत्री पदाधिकारी के समक्ष उपस्थापित करें।

6.4 स्टाफ पंजी :—

इस कार्यालय में स्टाफ पंजी संधारित है, परन्तु अद्यतन नहीं है। निर्देश दिया गया कि इस कार्यालय में कार्यरत सभी कोटि के कर्मचारियेां के संबंध में विस्तृत सूचना स्टाफ पंजी में अंकित करना सुनिश्चित करें, ताकि यह पता चल सके कि कौन से सरकारी सेवक कहां रहते हैं, कब उन्होंने योगदान दिया।

7.0 कर्मपुस्त :—

इस कार्यालय के लिपिकों के नाम से अलग–अलग कर्मपुस्त संधारित है, जो अद्यतन नहीं है। निदेश दिया गया कि कर्मपुस्त में साप्ताहिक/पाक्षिक मासिक लंबित पत्रों का विवरणी संधारित करें।

8.0 नजारत :–

इस कार्यालय के नजारत का कार्य अनुमण्डल कार्यालय में अनुमण्डल नाजिर के द्वारा संपादित होता है। रोकड़ पंजी अद्यतन है।

9.0 आवंटन पंजी :–

इस कार्यालय में आवंटन पंजी संधारित एवं अद्यतन है।

10.0 सेवा–पुस्त :–

कार्यालय में सेवा पुस्त संधारित है। सभी कार्यरत कर्मचारियों की सेवा पुस्त उपलब्ध है, जो अद्यतन एवं सत्यापित है। वर्ष 2010–11 मे सेवा विमुक्त होने वाले कर्मियों की संख्या शून्य है।

11.0 कार्यालय पंजी :–

11.1 उपस्थिति पंजी :–

उपस्थिति पंजी संधारित है, जिसका भूमि सुधार उपसमाहर्ता एवं अनुमण्डल पदाधिकारी के द्वारा जाच किया गया है। निदेश दिया जाता है कि प्रत्येक दिन उपस्थिति के संबंध में विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करावें।

11.2 भंडार पंजी :–

वित्तीय वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 तक प्राप्त लेखन सामग्रियों की पंजी संधारित एवं अद्यतन है।

11.3 अनुक्रमणी पंजी :–

अनुक्रमणी पंजी संधारित है, जो विहित प्रपत्र में एवं अद्यतन है।

11.4 रक्षी पंजी :–

कार्यालय में रक्षी संचिका संधारित है। निदेश दिया जाता है कि समय–समय पर जिला एवं राज्य से जो अनुदेश प्राप्त होते हैं उनका संधारित रक्षी पंजी में सुनिश्चित करें।

11.5 नोटिस पंजी :–

नोटिस पंजी संधारित एवं अद्यतन है।

11.6 संदेशवाहक पंजी :–

संदेशवाहक पंजी संधारित एवं अद्यतन है।

11.7 विपत्र पंजी :–

विपत्र पंजी संधारित एवं अद्यतन है।

11.8 वेतन भुगतान पंजी :–

शीर्ष 2029 भू0रा0 का वेतन भुगतान पंजी संधारित एवं अद्यतन है।

11.9 आकस्मिक अवकास पंजी :–

आकस्मिक अवकास पंजी संधारित एंव अद्यतन है। निदेश दिया जाता है कि जो भी कर्मी अवकाश लेते हैं उनका अद्यतन प्रविष्टि इस पंजी में सुनिश्चित करें।

12.0 अंकेक्षण :–

इस कार्यालय का अंकेक्षण वर्ष 2007–08 मे वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया गया है, जिसका अनुपालन प्रतिवेदन इस कार्यालय के पत्रांक 156/दिनांक 10.09.2007 द्वारा विभाग को भेजा जा चुका है। अंकेक्षण के दौरान किसी भी तरह की त्रुटि नहीं पाई गई।

13.0 सैरात :–

सैरात, फलकर, पराता आदि से सम्बंधित अभिलेख सभी छः अंचलों के द्वारा प्राप्त होते हैं। जमा निर्धारण हेतु प्राप्त अभिलेख को अनुमोदनोपरांत अग्रेतर कारवाई हेतु जिला राजस्व प्रशाखा भेजा जाता है। सैरात से सम्बंधित संचिका अलग से संधारित है। साथ ही सैरात पंजी भी है, जो संधारित है एवं अद्यतन है।

14.0 न्यायालय कार्य :–

इस कार्यालय में न्यायालय से सम्बंधित सुनवाई हेतु अलग से न्यायालय कक्ष नहीं है, जिसके कारण अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ट में ही न्यायालय सम्बधी सुनवाई की जाती है। सुनवाई के दौना भीड़–भाड़ के कारण काफी कठिनाई होती है। इस न्यायालय में निम्न वादों की सुनवाई होती है :–

क्र	वाद का प्रकार	वर्ष 2010–11 में नवम्बर माह तक दायर वादों की संख्या	1.12.2010 से 31.12.2010 तक दायर वादों की संख्या	कुल दायर वाद	निष्पादित वादों की संख्या	लम्बित वादों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1	**दाखिल–खारिज अपील**	21	5	26	6	20
2	**जमाबन्दी सुधार**	20	4	24	8	16
3	**भू–हदबंदी 16 (3)**	9	0	9	3	06
4	विविध वाद (क) सामान्य (ख) जनशिकायत स सृजित बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम के तहत वाद दायर	14 31	0 4	49	24 11	14
5	बटाईदारी	10	0	10	7	3
6	साहूकारी	1	0	1	0	1
	कुल	106	13	119	59	60

14.1 दाखिल खारिज अपील :–

दाखिल खारिज वाद के लिए एक पंजी संधारित है, जो अद्यतन है। इस पंजी में अंचलाधिकारियों द्वारा पारित आदेश के विरूद्व इस न्यायालय में अपील दायर किए जाने पर प्रविष्टि की जाती है, प्रविष्टि अद्यतन है।

14.2 जमाबन्दी सुधारवाद :–

जमाबन्दी सुधारवाद पंजी संधारित एवं अद्यतन है।

14.3 विविध–वाद :–

विविध वाद की पंजी संधारित एव अद्यतन है।

14.4 भू–हंदबदी 16 (3) :–

यह पंजी संधारित है वर्ष 2010–11 में प्राप्त आवेदन के आधार पर सुनवाई की जा रही है। इस अधिनियम के अन्तर्गत चलान से जमा राशि की निकासी सम्बंधी पंजी संधारित है।

14.5 भुहदबंदी सिलिंग :–

इस से सम्बंधित कोई भी मामला लम्बित नही है।

14.6 अनुमंडलीय भूमि सुधार कार्यालय, बेतिया के कुछ वैसे वाद जो छह माह से अधिक समय से चल रहे हैं, निम्नलिखित है :–

क्र	वाद का प्रकार	वाद संख्या नाम	वाद दायर करने की तिथि	लंबित रहने का कारण	वर्तमान स्थिति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	जमाबंदी सुधार	04/2010–11 रेयाजुल मियां बनाम अनिरूद्ध	31.05.2010	31.05.10 को समाहर्त्ता, बेतिया से पुनः दोनों पक्षों को सुनने हेतु अभिलेख प्राप्त। विपक्षी की अनु० एवं उनके द्वारा कारण पृच्छा दायर नहीं करने एवं उभय पक्षों के द्वारा समय की मांग के कारण।	08.01.2011 को सुनवाई होना है।	

2	जमाबंदी सुधार	27/09—10 सीताराम साह बनाम महादेव साह	07.01.2011	तामिला 3.1.2011 को प्राप्त। विपक्षी द्वारा बहस हेतु समय की मांग	उभय पक्षों की सुनवाई 15.01.2011 को	
3	जमा0 निर्माण	38/09—10 महेन्द्र प्रसाद बनाम विश्वनाथ राउत	25.02.2010	10.08.10 को तामिला प्राप्त। विपक्षी द्वारा कारण पृच्छा अप्राप्त होने के कारण।	विपक्षी को दिनांक 11.01.11 को कारण पृच्छा दायर करने का अंतिम समय दिया गया है।	
4	दाखिल खारिज	16/09—10 धनुध्वज सिंह बनाम अमित सिंह	16.09.2010	दोनों पक्षों के सुनवाई पर	निर्धारित तिथि 11.01.2011	
5	दाखिल खारिज	06/10—11 सुकदेव शर्मा बनाम इन्द्रासन शर्मा	21.06.2010	मूल अभिलेख अप्राप्त एवं विपक्षी द्वारा कारण पृच्छा दायर करने हेतु समय की मांग करना।	निर्धारित तिथि 11.01.2011	
6	भू—हदबंदी	20/09—10 भिखारी यादव बनाम भगेलू यादव	29.03.2010	अंचल अधिकारी, योगापट्टी से स्थल जांच प्रतिवेदन अप्राप्त होने के कारण।	निर्धारित तिथि 08.01.2011	
7	भू—हदबंदी	19—09—10 भिखारी यादव बनाम शीतल यादव	29.03.2010	अंचल अधिकारी, योगापट्टी से जांच प्रतिवेदन अप्राप्त होने के कारण।	निर्धारित तिथि 08.01.2011	
8	बटाईवाद	01/10—11 कृष्णमोहन प्रसाद बनाम ध्रुवनारायण प्रसाद	10.05.2010	अंचल अधिकारी, चनपटिया से प्रतिवेदन अप्राप्त। आवेदक द्वारा बहस हेतु समय की मांग की गयी है।	निर्धारित तिथि 11.01.2011	

ऐसे वादों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करें।

15.0 बंदोबस्ती :—

अंचलवार बंदोबस्ती की पंजी संधारित है जो अद्यतन है।

16.0 कर निर्धारण :—

कर निर्धारण पंजी संधारित है। इस पंजी में छः अंचलों का लगान निर्धारण स्वीकृति के पश्चात संधारित किया जाता है, जो अद्यतन है। इस कार्यालय मे लगान निर्धारण हेतु कोई मामला लम्बित नहीं है।

17.0 जन शिकायत :—

जिला जन शिकायत कोषांग, माननीय मुख्यमंत्री जनशिकायत कोषांग आदि से प्राप्त आवेदन पत्रों की पंजी एवं संचिका संधारित है। जनशिकायत कोषांग से प्राप्त आवेदन पत्रो कों प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निष्पादित कर जन शिकायत कोषांग को संसूचित कर दिया जाता है। जन शिकायत से प्राप्त कुल 31 आवेदन पत्र पर बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2010 के तहत निबंधित कर वाद के रूप में दर्ज कर वाद चलाया जा रहा है, जिसमें से 11 वादों का निष्पादन किया जा चुका है, जिसकी सूचना जिला जनशिकायत कोषांग को भी भेजी जा चुकी है। मुख्यमंत्री जनता दरबार से प्राप्त कुल 14 आवेदन हैं, जिसमें 10 आवेदन अंचलों को भेजा जा चुका है, जिसे सम्बंधित अंचल अधिकारी के द्वारा निष्पादित कर दिया गया है। शेष 2 आवेदन अनुमण्डल पदाधिकारी को वापस किया गया एवं 1 आवेदन पत्र अपर समाहर्ता को वापस किया गया है, जो उनके कार्यालय से सम्बंधित था। वर्तमान में मुख्यमंत्री जनता दरबार से सम्बंधित कोई भी आवेदन इस कार्यालय के स्तर पर लम्बित नहीं है। जिला जनशिकायत कोषांग से कुल 115 आवेदन दिनांक 31.12.2010 तक प्राप्त हुए थे, जिसमें कुल 31 आवेदन को वाद के रूप में निबंधित किया गया है। शेष 84 आवेदन पत्रों को सम्बंधित अंचलधिकारी को भेज दिया गया है। अंचल अधिकारी के द्वारा बताया गया कि लगभग सभी आवेदनों का निष्पादन कर प्रतिवेदन जिला जन शिकायत कोषांग को भेज दिया गया है।

18.0 माननीय उच्च न्यायालय/उच्तम न्यायालय :—

इस कार्यालय मे उच्च न्यायालय एवं उच्च्तम न्यायालय से सम्बंधित संचिका एवं पजी संधारित है। वित्तीय वर्ष 2010 में प्राप्त कोई भी मामला इस कार्यालय के स्तर पर लम्बित नहीं है। सभी सी0डब्लू0जे0सी0 मे

तथ्य विवरणी अनुमोदन हेतु विधि शाखा को भेजी जा चुकी है तथा जिला विधि शाखा के द्वारा सम्बंधित अंचलाधिकारी को प्रतिशपथ पत्र दायर करने एवं शपथ लेने हेतु प्राधिकृत किया जा चुका है।

19.0 राज्य सभा/लोक सभा/विधान सभा/ विधान परिशद प्रश्न :–

इस कार्यालय में राज्यसभा/लोकसभा/विधानसभा/ विधान परिषद से सम्बंधित कोई प्रश्न लम्बित नहीं है। निदेश दिया जाता है जब भी इस तरह के मामले प्राप्त हों उस पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें।

20.0 नीलाम पत्र :–

जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के ज्ञापांक 378/नीलाम पत्र/दिनांक 02.12.2010 के द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी, बेतिया सदर से नीलाम पत्र वादों का निष्पादन हेतु बैरिया एवं मझौलिया अंचल से नीलाम पत्र वादों का अभिलेख प्राप्त हुआ है। प्राप्त अभिलेखों को पुनर्जीवित कर नोटिस निर्गत किया जा रहा है, एवं नोटिस का तामिला विशेष दूत के माध्यम से कराया जा रहा है। निलाम पत्रवाद के अभिलेखों को सूचीबद्ध कराकर कम्प्यूटराइजेशन कर इसकी सी०डी० तैयार करने की कारवाई की जा रही है।

21.0 मंतव्य :–

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का महत्वपूर्ण कार्य न्यायालय होता है, जिसके माध्यम से भू–विवाद को समाप्त किया जाता है। न्यायालय संबंधी सभी लंबित मामले का निष्पादन तेजी से करने की आवश्यकता है। हाल में नीलामपत्र वाद के मामले भी सुनवाई हेतु प्राप्त हुए हैं, जिसके निष्पादन करने की आवश्यकता है। पूर्व में किए गए निरीक्षण की टिप्पणी संधारित नहीं किया जाना उचित नहीं है। निरीक्षण टिप्पणी में दिए गए निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें ताकि कार्यकलाप में सुधार लाया जा सके।

Rajendra 11-1-2011
(बी०राजेन्दर)
जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक 88 /गो०, दिनांक 12|01|2011

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेतिया सदर को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– भूमि सुधार उप समाहर्त्ता बगहा/नरकटियागंज/जिला स्थापना उपसमाहर्त्ता, बेतिया/प्रभारी पदाधिकारी, जिला जनशिकायत कोषांग/प्रभारी पदाधिकारी, जिला निलामपत्र शाखा/कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण प्रमंडल/प्रबंधक, सूचना प्रौद्योगिकी, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अपर समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rajendra 11-1-2011
(बी०राजेन्दर)
जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक 88 /गो०, दिनांक 12|01|2011

प्रतिलिपि :– आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर, की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Rajendra 11-1-2011
(बी०राजेन्दर)
जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।